

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- राहुल जैन

वाद सं. 69/2016

उनवान

- 1 रामा देवी पत्नी मुरलीधर
 - 2 कमला देवी पत्नी प्रभूदयाल
 - 3 गीता देवी पत्नी जुगल किशोर
 - 4 लाली देवी पत्नी नवल किशोर
- समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासीयान ग्राम सबलपुरा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर। वादीगण

बनाम

1. बोदूराम पुत्र गोपीराम, जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम सबलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
 2. रूडमल पुत्र मोहरूराम, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी बरना तह0 आमेर जिला जयपुर।
 3. कज्जी देवी पत्नि रामलाल, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम केरली की ढाणी, धिनोई, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
 4. नाना देवी उर्फ नानूडी पनि ग्यारसी लाल, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम भम्भोरी, तहसील जयपुर जिला जयपुर।
 5. आंची देवी पुत्री चतराराम पनि मालीराम, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सबलपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर व ग्राम गुवारडी जयसिंहपुरा तह0 चौमूं जिला जयपुर।
 6. उपपंजीयक चौमूं, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
 8. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा कालाडेरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
- प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा तथा स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:- 16.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट धिनोई में पेश हुई। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 07.06.2017 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से दिनांक 13.11.2017 को कुरेजात प्राप्त हो चुके हैं। वादीयागण स्वयं उपस्थित हैं। प्रतिवादीगण बावजूद सुचना के अनुपस्थित हैं। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

वादीयागण ने उपस्थित होकर तहसीलदार तहसील चौमूं से प्राप्त कुरेजात के अनुसार वादी वाद अन्तिम डिक्री करवाये जाने के लिए निवेदन किया। अतः वादी का वाद तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 13.11.2017 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि आ0ख0न0 513, 514, 515, 516, 517 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.54 हैक्टेयर वाके ग्राम सबलपुरा, तह0 चौमूं जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमूं द्वारा खाता विभाजन खातेदार के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. रामा देवी पत्नि मुरलीधर, कमला देवी पत्नि प्रभूदयाल हिस्सा 78/117, गीता देवी पत्नि जुगलकिशोर हिस्सा 24/117, लाली देवी पत्नि नवलकिशोर हिस्सा 15/117 जाति बागडा ब्राह्मण को खसरा नम्बर 514/3. रकबा 0.0760 हैक्टर, खसरा नम्बर





16/11/21

517/1 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 517/3 रकबा 1.22 हैक्टर कुल किता 03 का कुल रकबा 2.1060 हैक्टर, जो संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

2. बोदूराम पुत्र गोपीराम हिस्सा 670/791 राहिन एस0बी0बी0जे0 कालाडेरा मुर्तहीन, आची देवी पुत्री चतराराम हिस्सा 27/1582, तीजा देवी पुत्री नानू हिस्सा 215/1582 जाति बागडा ब्राह्मण को खसरा नम्बर 513/2 रकबा 1.70 हैक्ट, खसरा नम्बर 514/2 रकबा 1.4640 है0, कुल किता 02 का कुल रकबा 3.1640 हैक्ट, जो संलग्न नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. आची देवी पुत्री चतराराम हिस्सा 1/96, तीजा देवी पुत्री नानू हिस्सा 1/12, रामा देवी पत्नि मुरलीधर, कमला देवी पत्नि प्रभूदयाल हिस्सा 78/288, गीता देवी पत्नि जुगलकिशोर हिस्सा 1/12, लाली देवी पत्नि नवलकिशोर हिस्सा 15/288 बिलारहन, बोदूराम पुत्र गोपीराम हिस्सा 1/2 राहिन एस0बी0बी0जे0 कालाडेरा मुर्तहीन, जाति बागडा ब्राह्मण को खसरा नम्बर 513/1 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 514/1 रकबा 0.06 हैक्टर. खसरा नम्बर 517/2 रकबा 0.07 हैक्टर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.18 हैक्टर है, जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
4. रामा देवी पत्नि मुरलीधर, कमला देवी पत्नि प्रभूदयाल हिस्सा 13/24, गीता देवी पत्नि जुगलकिशोर हिस्सा 1/6, लाली देवी पत्नि नवलकिशोर हिस्सा 5/48, आची देवी पुत्री चतराराम हिस्सा 1/48, तीजा देवी पुत्री नानू हिस्सा 1/6 जाति बागडा ब्राह्मण को खसरा नम्बर 515 रकबा 0.02 हैक्टर, 516 रकबा 0.07 हैक्टर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.09 हैक्टर है, जो संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती है।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।


राहुल जैन
उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व

अजलास राहुल जैन आईएएस

- 1 रामा देवी पत्नी मुरलीधर
- 2 कमला देवी पत्नी प्रभूदयाल
- 3 गीता देवी पत्नी जुगल किशोर
- 4 लाली देवी पत्नी नवल किशोर

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासीयान ग्राम सबलपुरा, तह0 चौमूं जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. बोदूराम पुत्र गोपीराम, जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम सबलपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. रूडमल पुत्र मोहरूराम, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी बरना तह0 आमेर जिला जयपुर।
3. कज्जी देवी पत्नि रामलाल, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम केरली की ढाणी, धिनोई, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
4. नाना देवी उर्फ नानूडी पनि ग्यारसी लाल, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम भम्भोरी, तहसील जयपुर जिला जयपुर।
5. आंची देवी पुत्री चतराराम पनि मालीराम, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सबलपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर व ग्राम गुवारडी जयसिंहपुरा तह0 चौमूं जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक चौमूं, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
8. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा कालाडेरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा तथा स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 69/2016

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू राहुल जैन आईएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

1. रामा देवी पत्नि मुरलीधर, कमला देवी पत्नि प्रभूदयाल हिस्सा 78/117, गीता देवी पत्नि जुगलकिशोर हिस्सा 24/117, लाली देवी पत्नि नवलकिशोर हिस्सा 15/117 जाति बागडा ब्राह्मण को खसरा नम्बर 514/3 रकबा 0.0760 हैक्टर, खसरा नम्बर 517/1 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 517/3 रकबा 1.22 हैक्टर कुल किता 03 का कुल रकबा 2.1060 हैक्टर, जो संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. बोदूराम पुत्र गोपीराम हिस्सा 670/791 राहिन एस0बी0बी0जे0 कालाडेरा मुर्तहीन, आची देवी पुत्री चतराराम हिस्सा 27/1582, तीजा देवी पुत्री नानू हिस्सा 215/1582 जाति बागडा ब्राह्मण को खसरा नम्बर 513/2 रकबा 1.70 हैक्ट, खसरा नम्बर 514/2 रकबा 1.4640 है0, कुल किता 02 का कुल रकबा 3.1640 हैक्ट, जो संलग्न नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. आची देवी पुत्री चतराराम हिस्सा 1/96, तीजा देवी पुत्री नानू हिस्सा 1/12, रामा देवी पत्नि मुरलीधर, कमला देवी पत्नि प्रभूदयाल हिस्सा 78/288, गीता देवी पत्नि जुगलकिशोर हिस्सा 1/12, लाली देवी पत्नि नवलकिशोर हिस्सा 15/288 विलारहन, बोदूराम पुत्र गोपीराम हिस्सा 1/2 राहिन एस0बी0बी0जे0 कालाडेरा मुर्तहीन, जाति बागडा ब्राह्मण को खसरा नम्बर 513/1 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 514/1 रकबा 0.06 हैक्टर. खसरा नम्बर 517/2 रकबा 0.07 हैक्टर कुल किता 3 का कुल



रकबा 0.18 हैक्टर है, जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

4. रामा देवी पत्नि मुरलीधर, कमला देवी पत्नि प्रभूदयाल हिस्सा 13/24, गीता देवी पत्नि जुगलकिशोर हिस्सा 1/6, लाली देवी पत्नि नवलकिशोर हिस्सा 5/48, आची देवी पुत्री चतराराम हिस्सा 1/48, तीजा देवी पुत्री नानू हिस्सा 1/6 जाति बागडा ब्राह्मण को खसरा नम्बर 515 रकबा 0.02 हैक्टर, 516 रकबा 0.07 हैक्टर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.09 हैक्टर है, जो संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती है।

नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 16.11.2021 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत

ओहदा

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	1	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

